न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–डॉ एस.पी.सिंह (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 113/2017

बउनवान

जगदीश आयु 60 साल पुत्र श्री रतनलाल जाति–माली निवासी–पाठेडा तहसील–बारां, जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री संजय नागर, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक 25.04.2018

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के निर्णय दिनांक 20.03.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–पाठेडा, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 1079 रकबा 0.80 है0 किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 440/–रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एंव पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योगय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को हल्का पटवारी की झूठी व मनगठंत रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना व बिना किसी स्वतंत्र साक्षी की साक्ष्य लिये उक्त आदेश पारित करने में कानूनी त्रुटि की है। अपीलांट का विवादित आराजी पर कोई अतिक्रमण नहीं है ना ही पश्चात्वर्ती अतिक्रमी है। समस्त कार्यवाहीं एकरतफा की गयी है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20.03.2014 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर मौके की कोई जॉच नहीं की गयी है कि अपीलांट का प्रश्नगत आराजी पर कब्जा है या नहीं। निर्णय मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर विश्वास करके आदेश पारित किया गया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती नहीं है।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती बाबत कोई साक्ष्य दस्तावेज नहीं है। ऐसी स्थिति में पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अपीलांट का विवादित आराजी पर कोई अतिक्रमण नहीं है ना हीं तावान राशि बकाया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एकपक्षीय होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20.3.2014 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 377/12 निर्णय दिनांक 22.5.2012 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह भूमि है जिसपर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 377/12 निर्णय दिनांक 22.5.2012 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप हीं सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहींन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 805/14 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2014 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.04.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(डॉ0एस.पी.सिंह)
जिला कलक्टर,बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज०)